न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– उत्पाद अधिहरण वाद सं0–57/2017–18 राज्य बनाम रोहित कुमार

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
05.09.2017	*आदेश* पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2027/सी0आर0, दिनांक 28.06.2017 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत खगड़िया थाना कांड संख्या–326/17 दिनांक 16.05.17 में वादी पु0अ0नि0 श्री बबलू कुमार खगड़िया थाना द्वारा गुप्त सूचना के आधार एक हीरो इनीटोर मोटर साईकिल जिसका रजि0 नं0–BR-34 C-2571 पर सवार चालक विनय कुमार उर्फ बबलु कुमार के पीछे बैठे रूदल कुमार साकिन–बछौता के बीच में पुराना प्लास्टिक के थैला में छिपाकर रखा 180 एम0एल0 का रॉयल स्टेग का 10 (दस) बोतल शराब बरामद किया गया। जप्त वाहन का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद–बिक्री किया जा रहा था। उक्त कांड में जप्त वाहन को अधिहरण करने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ प्राथमिकी, तलासी सह जप्ती सूची एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया का पर्यवेक्षण टिप्पणी संलग्न है। अभिलेख में मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के अन्तर्गत तलासी सह जप्ती सूची की प्रारंभिक रिपोर्ट संलग्न है। प्रतिवेदन में जप्ती का विवरण स्पष्ट है जो अधिहरण प्रस्ताव में वर्णित स्थिति को सम्पुष्ट करता है। जप्ती की विवरणी निम्नवत हैः– जप्ती सूची के अनुसार ग्राम मथुरापुर स्थित सोनवर्षा शिवमंदिर की ओर जाने वाली सड़क के सामने खगड़िया अलौली पक्की सड़क पर हीरो इनीटोर मोटर साईकिल जिसका रजि0नं0–BR-34 C-2571 पर सवार चालक विनय कुमार उर्फ बबलु कुमार के पीछे बैठे रूदल कुमार दोनों साकिन–बछौता, थाना–मोरकाही के बीच में पुराना प्लास्टिक के थैला में छिपाकर रखा 180 एम0एल0 का रॉयल स्टेग का 10 (दस) बोतल विदेशी शराब प्रत्येक बोतल पर झारखंड सरकार लिखा हुआ बरामद किया गया। प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधितों को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।	

विपक्षी रोहित कुमार पिता विजय साह ग्राम+पो0–बछौता, थाना–मोरकाही, जिला–खगड़िया के विरूद्ध नोटिस निर्गत किया गया तथा डी0बी0 नं0 195/196/विधि, दिनांक 26.07.2017 से तामिला हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया को अपने अधिनस्थ थाना के माध्यम से तामिला कराने हेतु भेजा गया ।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 2210 दिनांक 05.08.2017 से तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

डी0बी0नं0–165/विधि, दिनांक 06.07.2017 से जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से गाड़ी निबंधन पंजी से इसका सत्यापन कर गाड़ी मालिक का नाम एवं पता की मांग की गयी।

जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया से वाहन स्वामी का नाम एवं पता प्रतिवेदित किया गया। जिसमें अंकित किया गया कि वाहन संख्या BR-34C-2571 चेसिस नं0 MBLJC59ADFGE00796 MODEL IGNITOR रोहित कुमार पिता–विजय साह, ग्राम–बछौता थाना–मोरकाही जिला–खगड़िया के नाम से पंजीवद्ध है।

विपक्षी की ओर से कारण पृच्छा दायर किया गया। उनके द्वारा कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि मामला अभी न्यायालय में चल रहा है, तब दूसरा कार्यवाही चलाना कानूनसंगत नहीं है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि एक ही घटना के लिए दो मामला कानून विरूद्ध है तथा वर्त्तमान मामले को आपराधिक मामले के निष्पादन तक लंवित रखा जाय।

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2027/सी0आर0 दिनांक 28.06.2017 के साथ संलग्न पु0अ0नि0 खगड़िया थाना के अधिहरण प्रस्ताव एवं जप्ती सूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत वाहन संख्या BR-34C-2571 चेसिस नं0 MBLJC59ADFGE00796 MODEL IGNITOR जो शराब कारोबार के लिए इश्तेमाल किया जा रहा था, जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गयी जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा 58(2)के अन्तर्गत अधिहरण योग्य बताया गया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से स्पष्ट है वाहन संख्या– BR-34C-2571 चेसिस नं0 MBLJC59ADFGE00796 MODEL IGNITOR का इश्तेमाल शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो संदर्भित अधिनियम अन्तर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण

संज्ञेय अपराध है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रश्नगत वाहन संख्या BR-34C-2571 चेसिस नं0 MBLJC59ADFGE00796 MODEL IGNITOR मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्नलिखित आदेश दिया जाता है कि :–

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन संख्य–BR-34C-2571 चेसिस नं0 MBLJC59ADFGE00796 MODEL IGNITOR है जो जप्त कर खगड़िया थाना में रखा हुआ है, को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किये जाने वाला वाहन किसी भी ऋणभार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58(5) के अन्तर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाए।
2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन संख्या BR-34C-2571 चेसिस नं0 MBLJC59ADFGE00796 MODEL IGNITOR का मोटरयान निरीक्षक खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता।
खगड़िया।

ज्ञा० सं० 376 / विधि दिनांक 18-10-2017
प्रतिलिपि:- जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया / अधीक्षक उत्पाद खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- बिहार सूचना एवं विज्ञान केन्द्र खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित / अनुरोध है कि आदेश बिहार के website पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

18/10/17
प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा खगड़िया।
18/10/17